

पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर

19
7-1-13

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खण्ड पीठ रीवा (म0प्र0)
निगरानी प्र.क.....



- 1- चन्द्रशेखर प्रसाद मिश्र तनय स्व0 सीताराम मिश्र उम्र 65 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम-महरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0
- 2- बजेन्द्र प्रसाद मिश्रा तनय स्व0 पारसनाथ मिश्र उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि

R-895 III 113

आपकी पेशगीरफ्त के
आदेश दिनांक 1.2.12
के अन्तर्गत (अपेक्षा)
(अपेक्षा) को ध्यान
रिपोर्ट दिनांक 21.05.12

- 2(1) श्री मती जीता मिश्रा पत्नी हजेन्द्र प्रसाद मिश्र उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि
- 2(2) राजेश मिश्र तनय हजेन्द्र प्रसाद मिश्र उम्र 36 वर्ष पेशा कृषि
- 2(3) श्री शिवलेश मिश्र हजेन्द्र प्रसाद मिश्र उम्र 35 वर्ष पेशा कृषि

आपकी पेशगीरफ्त के

रीवा दि. 7-01-13

बनाम

- 1- छोटेलाल द्विवेदी तनय बालराम द्विवेदी, उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम-महरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0
- 2- संकर्षण प्रसाद तनय पारसनाथ उम्र 65 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम-महरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0
- 3- शासन म0प्र0

स्व. क. शासन कोटे
जिला मण्डल, म0प्र0
मदालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय
श्रीमान् तहसीलदार तहसील सिरमौर,
के प्रकरण क्रमांक 8 अ 12/12-13
आदेश दिनांक 31.12.12
निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू-
राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित है :-

- 1- यह कि निगरानीकर्तागण को गैरनिगरानीकर्ता/आवेदक क्रमांक-1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार निगरानी शुदा प्रकरण नहीं बनाया था बल्कि जानकारी होने पर निगरानीकर्तागण ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.05.2012 को आपत्ति प्रस्तुत की थी।

आपकी पेशगीरफ्त के

हजेन्द्र प्रसाद मिश्र


चन्द्रशेखर मिश्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-895-III/13

जिला-रीवा

चन्द्रशेखर/ छोटेलाल

(1)	(2)
19.12.18 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री आनन्द मोहन मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिरमौर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 8/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31.12.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>